

पंचायत
07/2/25 भीम
राजस्थान सरकार



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक: 05 फरवरी, 2025

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह फरवरी, 2025 के लिये मतदान दिनांक 14.02.2025 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र की 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तथा जहां पंच/सरपंच चुनाव हो वहां मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा उनके 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12.02.2025 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 14.02.2025 को सांय 05.00 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने हैं, वहां मतदान दिनांक 14.02.2025 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(जसवत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: 7(2)(7)/पंचा/रानिआ/2024/ 542

दिनांक: 10.02.2025

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह फरवरी, 2025 - सूखा दिवस के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव